

विधासभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 43 दिनांक 13.02.2018/20.02.2018 के प्रश्नभाग 'ख' का परिशिष्ट 'अ'

प्रश्नकर्ता—मान. श्री विश्वास सारंग

राज्य बीमारी सहायता के माध्यम से निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को लाभ मिलता है—

1. समस्त बी.पी.एल परिवार।
2. शासकीय वृद्धाश्रम एवं अनाथालय के रहवासी।
3. श्रमिक संवर्ग की निम्नांकित योजना के पंजीकृत हितग्राही—
 - मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना।
 - मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना।
 - मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक योजना।
 - मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिये कल्याण योजना।
 - भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अन्तर्गत पंजीकृत।
 - मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना।
 - केश शिल्पी कल्याण योजना।
 - शिल्पकाल एवं हस्तशिल्प कारीगर।
 - सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशनर।
 - वनधिकार प्राप्त पट्टाधारी।
 - बीड़ी बनाने वाले मजदूर।
 - मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के समस्त हितग्राही।
4. असंगठित मजदूर संवर्ग के पंजीकृत परिवारों के सदस्य।

आयुष्मान भारत योजना "निरामयम" में निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को लाभ मिलता है :-

1. SECC 2011 के चिन्हित परिवार क्रमांक (डी 1) से क्रमांक (डी 7) तक। (क्रमांक (डी 6) को छोड़कर) वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार जो निम्न हैं—
 - कच्ची छत एवं कच्ची दीवाल वाला एक कमरे में रहने वाला परिवार। (डी 1)
 - ऐसा परिवार जिसमें 16 वर्ष से 59 वर्ष आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो। (डी 2)
 - ऐसा परिवार जिसमें 16 वर्ष से 59 वर्ष आयु का कोई पुरुष वयस्क सदस्य न हो, किन्तु महिला मुखिया हो। (डी 3)
 - ऐसा परिवार जिसमें विकलांग सदस्य हों किन्तु कोई भी वयस्क सदस्य कार्यरत न हो। (डी 4)
 - अजा. एवं अजजा. परिवार। (डी 5)
 - भूमिहीन परिवार जो मजदूरी करता हो। (डी 7)
2. संबल योजना के पात्र परिवार।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य पात्रता पर्ची धारक चिन्हित परिवार



उप संचालक
(रा0बी0सहा0नि0)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.